

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टे./ (एफ-1557)/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री मनोज कुमार चौधरी, लैब टेक्नीशियन (प्रोबेशनरी ट्रेनी), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(एफडी)रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 07.08.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दिनांक 31.01.2019 से 17.02.2019 तक 18 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - ई-33/लै.टे./ (एफ-1557)/2019/388

दिनांक : 24/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा।
3. भ्रमारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. श्री मनोज कुमार चौधरी, लैब टेक्नीशियन (प्रोबेशनरी ट्रेनी), को द्वारा उनके पेशासनिक अधिकारों।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर